(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 939-एक/2017 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-02-2017- पारित व्दारा - तहसीलदार पनागार वृत्त महाराजपुर जिला जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 3/2009-10 अ-19

रेगिस ककेटा पिता पोलिस पुसे

ग्राम झरझुरू तहसील पनागर

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश -----आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री संतोष कुमार बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 5 - 12 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार वृत्त महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 3/09-10 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 3-2-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 102 अ-19/11-12 में पारित आदेश दिनांक 14-8-12 में दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तहसीलदार पनागर के समक्ष आवेदक ने आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम झुरझुरू स्थित भूमि खसरा नंबर 85, 89/1, 91/1, 92, 93, 94, 101, 124, 125, 126, 128, 129, 131/2, 132, 136, 154, 203 कुल रकबा 10-22 हैक्टर को कब्जे के आधार पर व्यवस्थापित किया जावे। तहसीलदार पनागर ने प्रकरण क्रमांक 3/09-10 अ-19 में जांच की एंव आवेदक को सुनवाई का अवसर

देकर आदेश दिनांक 3-2-17 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है जिस पर म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किया जा रहा है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक को एंव म0प्र0 शासन के पैनल लायर को सुना गया तथा तहसीलदार वृत्त महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 3/09-10 अ-19 का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0 शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार वृत्त महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 3/09-10 अ-19 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी है कि ग्राम झुरझुरू स्थित भूमि खसरा नंबर 85, 89/1, 91/1, 92, 93, 94, 101, 124, 125, 126, 128, 129, 131/2, 132, 136, 154, 203 कुल रकबा 10-22 हैक्टर को कब्जे के आधार पर व्यवस्थापित किया जावे। म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के नियम 3 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है -

3- कृषि श्रमिकों को भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना -

(1) किसी ग्राम में की समस्त दखल रहित भूमि जो **2** अक्टूवर **1984** को किसी श्रमिक के कब्जे में हो, कोड में या उसके अधीन बनाए गए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी , उक्त तारीख से ऐसे व्यक्ति व्दारा भूमिस्वामी अधिकारों में धारण की जाएगी और वह कोड और तत्समय किसी अधिनियमित के समस्त प्रयोजनों के लिये उक्त भूमि का भूमिस्वामी होगा :

परन्तु ऐसे भूमिस्वामी अधिकार दो हैक्टर से अधिक भूमि के संबंध मं प्रदान नहीं किये जायेगे।

जबकि आवेदक व्दारा उक्त के विपरीत ग्राम झुरझुरू स्थित कुल रकबा 10-22 हैक्टर के व्यवस्थापन की मांग रखी गई है जो नियमों में दिये गये उक्त प्रावधानों के अनुसार न होने से तहसीलदार पनागर ने आदेश दिनांक 3-2-17 से आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है।

5/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 3-2-17 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के अंतिम पद 10 में इस प्रकार निष्कर्ष अंकित किया है :-

आवेदक जी.सी.एफ. फैक्ट्री में सर्विस करता था एंव वहां से रिटायर्ड हो चुका है जिससे स्पष्ट है कि वह गरीव आदिवासी नहीं है।

म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत केवल कृषि श्रमिकों को भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान है जबकि आवेदक रिटायर्ड कर्मचारी है, जो पूर्व से ही साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि पटटे पर प्राप्त किये है जिसके कारण आवेदक म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने का पात्र न पाये जाने से तहसीलदार पनागर ने आदेश दिनांक 3-2-17 से आवेदक का आवेदन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार पनागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/09-10 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 3-2-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अल्वी)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर